


रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्रमांक: ^{LR} ~~राजस्व~~ / 2025 / 474

दिनांक: 21-04-2025

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम रायपुर के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।


तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार (भू जामिलद) रायपुर

आदेश


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय / 2025 / 209

दिनांक: 23/7/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम रायपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार रायपुर की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।




उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड

